कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 86 /मथुरा/23090/2016, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 13, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय: मथुरा–वृन्दावन–मॉट–नौहझील मार्ग (MDR-123) के चैनेज 30.882 के दायीं ओर ग्राम–सुरीरकलॉ बॉगर के खसरा सं0–1025 खाता सं0–627 में एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.049172 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक–5520/14–1, दि0 27.06.2017
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार है :–

1– 1:50000 स्केल के फुल साइज रंगीन टोपोशीट पर प्रस्तावित स्थल को स्पष्ट अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है।

2– संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से आवेदक के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। तथा रिपोर्ट में वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3– ऑनलाइन पार्ट–2 के अनुसार बाधक वृक्षों की संख्या शून्य प्रतीत होती है, किन्तु, संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट में सम्बन्धित मार्ग को रंगीन पेन से चिन्हित नहीं किया गया है।

4– मानक शर्तो के शासनादेश पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित करायें।

5– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के फुल साइज रंगीन टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

7– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

8– चिन्हित वन स्वरूप भूमि के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

9– प्रस्ताव के साथ संलग्न लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें।

10– मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

11– प्रस्तावित वनभूमि के डिजिटल मैप पर समस्त key points के अक्षॉश व देशान्तर अंकित नहीं हैं।

12– वन संरक्षक, आगरा द्वारा ऑनलाइन संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

13– प्रस्ताव के पृष्ठ–38 से 67 तक किसी भी अभिलेख में प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

14– प्रस्ताव के पृष्ठ–38, 39 व 41 की आवश्यकता नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक करने का कष्ट करें।

15– उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषय–सूची को अपडेट करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.06.2017 द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

13/7

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 86 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, 85/4 इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय प्लेस, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मथुरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13/7

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।